न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00180RAAJodhpur2020-86RTA225 Rajesh ors Vs Sukharam etc

01. राजेश पुत्र पोकरराम
02. सजनादेवी पत्नी पोकरराम
03. गजरीदेवी पुत्री पोकरराम
04. बाबुंड़ी पुत्री पोकरराम
05. धापु पुत्री पोकरराम
06. राधा पुत्री पोकरराम
07. प्रेमा पुत्री पोकरराम
08. हरिराम पुत्र पोकरराम
09. वीरादेवी पत्नी हनुमानराम
10. रमेश पुत्र हनुमानराम
11. श्याम पुत्र हनुमानराम
12. निरमा पुत्री हनुमानराम
13. माडी पत्नी चीमाराम
14. ओमाराम पुत्र चीमाराम
15. फरसाराम पुत्र चीमाराम
16. किशनाराम पुत्र चीमाराम
17. जोगाराम पुत्र चीमाराम

सभी जातियान् विश्नोइ, निवासीगण- ग्राम नान्दड़ा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. सुखराम पुत्र तेजाराम
02. सोनाराम पुत्र तेजाराम

जातियान् जाट, निवासीगण- नान्दड़ा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।

03. सवाईसिंह पुत्र श्री भैरुसिंह
04. गुलाबसिंह पुत्र भैरुसिंह
05. मगसिंह पुत्र भैरुसिंह
06. दयालसिंह पुत्र भैरुसिंह

जातियान् राजपूत, निवासीगण- नान्दड़ा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।

07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 जुलाई 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2020 राजेश व अन्य बनाम सुखाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री जे. गहलोत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3 से 6
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 7

नि र्ण य

दिनांक : 19 फरवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2020 अनवान राजेश व अन्य बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 जुलाई 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 30 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 217 रकबा 46.09 बीघा, खसरा नं. 217/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 217/3 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 217/4 रकबा 19.03 बीघा, खसरा नं. 217/5 रकबा 33.11 बीघा, खसरा नं. 217/6 रकबा 17.08 बीघा ग्राम नान्दड़ा कलां तहसील जोधपुर के संबंध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 28 जुलाई 2020 के जरिये प्रार्थना पत्र पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढी के आदेश में कब्जे की स्थिति को बदला नहीं जा सकता है, मात्र सीमाज्ञान करवाया जा सकता है जो पूर्व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है तथा उनकी भूमि को नाप किये बिना मौके पर पत्थरगढी एवं सीमांकन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण अपनी भूमि का माप व सीमांकन करवाना चाहते है, तब तक प्रत्यर्थीगण को बिना किसी विधिक आदेश अपीलार्थीगण को खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित है। मौके पर नाप करने पर प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो जमाबंदी में दर्ज रकबा 75 बीघा 15 बिस्वा की जगह मौके पर 75 बीघा 13 बिस्वा पर काबिज है तथा मौका फर्द की आड़ में अपीलार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में दखलंदाजी करने पर उतारू है। यदि वे अपने उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं की व्याख्या किये बिना आलौच्य आदेश पारित कर दिया।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं वाद के लंबित

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रहते वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 217 रकबा 46.09 बीघा, खसरा नं. 217/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 217/3 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 217/4 रकबा 19.03 बीघा, खसरा नं. 217/5 रकबा 33.11 बीघा, खसरा नं. 217/6 रकबा 17.08 बीघा ग्राम नान्दड़ा कलां तहसील जोधपुर के मौके की यथास्थिति के आदेश फरमावे तथा रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलार्थीगण की भूमि में दखलदांजी नहीं करे।

जबाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो भूमि खसरा नं. 216/1 रकबा 37.18 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 216/1 की पत्थरगढी हेतु न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 208/2019 अनवान सुखाराम बनाम पोकरराम में आदेश दिनांक 11.02.2020 के जरिये उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका फर्द दिनांक 11.12.2018 के अनुसार विधिवत पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलांट द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही को रुकवाने के उद्धेश्य से विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात् के रेकर्डेड खातेदार दर्ज है तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की भूमियॉ स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध होकर पृथक-पृथक तरमीम है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स की भूमि में दखलंदाजी की जाती है तो उन्हे अपूरणीय क्षति होना संभाव्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जुलाई 2020 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स को हिदायत है कि वे अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 217, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 एवं 217/6 कुल रकबा 121.06 बीघा ग्राम नान्दड़ा

13.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलां में हस्तक्षेप नहीं करे। अदालत हाजा का उक्त आदेश दिनांक 19 मार्च 2024 के पश्चात स्वतः निरस्त हो जायेगा। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01 मार्च 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर